FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0024 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 08/07/2025 19:53 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/07/2015 **Date To (दिनांक तक):** 19/11/2018

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/07/2025 **Time (समय):** 16:52 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Date and Time (दिनांक और समय):** 08/07/2025 16:52 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 100 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): चरखी दादरी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** उप पुलिस अधीक्षक महेश कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1972 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416082736

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	फूल सिह तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी			1. विभाग डिविजन –II चरखी दादरी,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
2	अमित कुमार ठेकेदार			1. जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
3	आनन्द कुमार ठेकेदार			1. जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
4	औमप्रकाश ठेकेदार			1. जन स्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
प्रबन्धक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0)
हिसार मण्डल हिसार ।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक 04 दिनांक 22.10.2019 चरखी दादरी शिकायतकर्ता सोमवीर फोगाट निवासी गांधी नगर, चरखी दादरी व अन्य की शिकायत के आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, के कार्यालय यादि क्रमांक 25/25/2019-4 चौकसी-(I) दिनांक 16.10.2019 व महानिदेशक रा0 चौ0 ब्यूरो (ह0) पंचकुला के कार्यालय पृष्ठांकन 17064/1-3/SVB(H) दिनांक 22.10.2019 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर इस मण्डल में पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी । इसके उपरान्त उपरोक्त जांच के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, के कार्यालय यादि क्रमांक 25/25/2019-4 चौकसी-(I) दिनांक 22.11.2019 व महानिदेशक रा0 चौ0 ब्यूरो (ह0) पंचकुला के कार्यालय पृष्ठांकन 19145/1-3/SVB(H) दिनांक 11.12.2019 अनुसार फुल सिह कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थय विभाग डिविजन चरखी दादरी, सतेन्द्र यादव कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थय विभाग चरखी दादरी, सुनील कुमार ठेकेदार, औमप्रकाश ठेकेदार, अमित कुमार ठेकेदार व अन्य द्वारा जन स्वास्थय विभाग डिविजन चरखी दादरी सतेन्द्र यादव कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थय विभाग चरखी दादरी व ठेकेदार रामफल फोगाट के विरूद्व जांच हेतू इस मण्डल में प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि उक्त आरोपियान द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन चरखी दादरी, में सरकारी धन राशी में फरोड़ करके लाखों रूप्ये का गबन किया व सीवर लाईन में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने बारे भ्रष्टाचार किया है ।

1. जांच के दौरान पाया गया कि पब्लिक हेल्थ अभियांत्रिकी विभाग में पहले से किये फर्जी कार्यो को अपनी एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा कार्य करवाया दिखाकर फर्जी व बोगस बिल बनाकर उनको तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता फुल सिंह से पास करवा के उक्त ठेकेदारों के खातों में सरकार का पैसा फर्जी तरीके से ट्रांसफर करके लाखों रूपयों का सरकारी राजस्व का गबन किया है । श्री विशाल बंसल, तत्कालीन अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग परिमण्डल भिवानी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 11.02.2019 के अध्ययन से पाया गया है कि वाउचर न0 03, 06, 07 दिनांक 06.01.2017 के तहत कुल 29,18,679/- रूपये की अदायगी सम्बन्धित ठेकेदारों को वाउचर न0 124 दिनांक 01.07.2015 (एम0बी0 न0 914, दलबीर जे0ई0), वाउचर न0 03 दिनांक 06.01.2017 (एम0बी0 न0 1075 दलबीर रंगा जे0ई0), बाउचर न0 06 दिनांक 06.01.2017 (एम0बी0 न0 1075 दलबीर रंगा जे0ई0) व वाउचर न0 07 दिनांक 06.01.2017 (एम0बी0 न0 1075 दलबीर रंगा जेई0) के तहत कर दी गई थी तथा वाउचर न0 06 दिनांक 05.12.2018 (एम0बी0 न0 536 सतेन्द्र यादव, जे0ई0) के अनुसार जो कार्य गांव सरूपगढ़ सातोर (चरखी दादरी) के जल

घर में लोहे का गेट, एस0एस0 कवर चार दिवारी, पाथ रोड, रंगाई पुताई व सैल्युस वाल्व फिटिंग का ओमप्रकाश ठेकेदार द्वारा करवाया दिखाकर तथा उक्त कार्य को 84071 रू0 से बढ़ाकर दिनांक 21.11.2018 को 988600/- रू0 करके, दिनांक 23.11.2018 को उक्त कार्य का बिल पास करके दिनांक 05.12.2018 को 8,38,552/- रू0 उक्त ठेकेदार के खाते में डाला गया है वह कार्य तो वर्ष 2017 तक ही करवा दिया गया था । दिनांक 09.02.2019 को अधीक्षक अभियन्ता श्री विशाल बंसल द्वारा सरूपगढ़ सातौर जल घर की मौका की जांच की गई । जो श्री जयप्रकाश सरपंच सरूपगढ़ लोकेश जे0 ई0, मनोज डब्लयू0पी0ओ0, रविन्द्र दलबीर प्रवीन नरेश ठेकेदार के कर्मचारी व राजेन्द्र सिंह बेलदार की उपस्थिति में की गई । मौके पर उपस्थित उपरोक्त जनों ने बताया कि जो कार्य वाउचर न0 6 दिनांक 05.12.2018 के तहत किया दिखाया गया है वह कार्य 3-4 साल पहले झोझू वाले ठेकेदार ने किया था उसकी एम0बी0 न0 536 श्री सतेन्द्र यादव जे0ई0 द्वारा तैयार की गई थी तथा इसके ईलावा उपरोक्त वाऊचर में दर्शाये गये एग्रिमेन्ट न. 100/2017-18 के सम्बन्ध में कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, चरखी दादरी के पत्र क्रमाँक 427 दिनाँक 11-01-2023 अनुसार उक्त एग्रीमेन्ट कार्यालय में उपलब्ध ना है । उक्त एग्रिमेन्ट सख्यां व दिनाँक में कटिंग भी कि हुई है तथा उक्त एम0बी0 जे0ई0 द्वारा ओमप्रकाश ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके खुर्द-बुर्द करनी प्रतीत हो रही है । अमित कुमार ठेकेदार द्वारा वाउचर न0 51 दिनाक 18.12.2018 के अनुसार गांव सरूपगढ, सातौर के जल घर में 2/2 फुट एम0एस0 मैन हाल कवर फिक्सिंग, स्टील मैन गेट वाटर वर्क्स का काम किया जाना दिखाया गया है । जिसके कोटेशन उप मण्डल अभियन्ता द्वारा दिनांक 27.11.2018 को अधीक्षक अभियन्ता फुल सिंह के पास भेजे गये जो दिनांक 28.11.2018 को अपूर्वल कर दिये गये तथा इनके बिल 05.12.2018 को पास कर दिये गये। परन्तु दिनांक 27.12.2018 के बाद या इससे दो साल पूर्व तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त दर्शाये गये कार्य का भुगतान बाउचर न0 06 दिनांक 05.12.2018 के तहत पहले ही किया जा चुका था । अतः उपरोक्त वाउचर के तहत बोगस व फर्जी बिल बनाकर क्रमशः 47,530/- रू0 की पैमेन्ट करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है । पड़ताल के दौरान यह भी पाया गया कि जो कार्य वाउचर न0 51 दिनांक 18.12.2018 मे दिखाया गया है उसकी एम0बी0 न0 536 श्री सतेन्द्र यादव जे0ई0 द्वारा तैयार की गई थी । वह कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह उक्त जे0ई0 द्वारा ठेकेदार अमित कुमार से मिलीभगत करके उक्त गबन को छुपाने के लिये खुर्द-बुर्द की जानी पाई गई है तथा उक्त ठेकेदार अमित कुमार द्वारा जे0ई0 सतेन्द्र यादव से मिलीभगत करके उक्त कार्य के बिना किये एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके सरकार के 47,530/- रूपये का राजस्व नुकसान पहुचाया हैं ।

2. वाउचर न0 48, 49 व 50 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार अमित कुमार ठेकेदार द्वारा गांव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में 200 एम0एम0 आई/डी0,सी0आई0, डी0एफ0 पाईप डालने के लिये कोटेशन उप मण्डल अभियन्ता द्वारा 27.11.2018 को अधीक्षक अभियन्ता फुल सिंह के पास भेजे गये जो दिनांक 28.11.2018 को अपुर्व कर दिये गये तथा इनके बिल 05.12.2018 को पास कर दिये गये । दिनांक 27.12.2018 के बाद या इससे दो साल पूर्व तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त दर्शाया गया कार्य वाउचर न0 123 व 126 दिनांक 17.11.2016 के तहत उपरोक्त साईट पर श्री सुनील कुमार ठेकेदार द्वारा किया गया था । अतः उपरोक्त वाउचर के तहत बोगस व फर्जी बिल बनाकर वाउचर न0 48, 49 व 50 के तहत क्रमश 47040/- 47040/- व 47040/- की पैमेन्ट करके कुल 1,41,120/- रू0 का सरकारी राजस्व को नुकसान पहुचाया है ।

3. अमित कुमार ठेकेदार द्वारा वाउचर न0 52 से 56 दिनाक 18.12.2018 के अनुसार गांव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में 8 ईन्ची आई0डी0पी0वी0सी0 पाईप 6 के0जी0 हाई प्रेशर का कार्य दिखाया गया था । जिसके कोटेशन उप मण्डल अभियन्ता द्वारा दिनांक 27.11.2018 को अधीक्षक अभियन्ता फुल सिंह के पास भेजे गये जो दिनाक 28.11.2018 को अपुर्वल कर दिये गये तथा इनके बिल 05-12-2018 को पास कर दिये गये तथा दिनांक 27.12.2018 के बाद या इससे दो साल पूर्व तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त दर्शाये गये कार्यो का भुगतान वाउचर न0 93 से 97, 124 व 125 दिनांक 17.11.2016 के तहत पहले ही किया जा चुका था इतना ही नहीं उपरोक्त कार्य अधीक्षक अभियन्ता द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिये 48,600/- रू0 के पांच अलग-2 वाउचर बनाकर बिल पास किये। उसकी एम0 बी0 न0 536 श्री सतेन्द्र यादव जे0ई0 द्वारा तैयार की गई थी । वह कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह जे0ई0 द्वारा ठेकेदार अमित कुमार से मिलीभगत करके गबन को छुपाने के लिये खुर्द-बुर्द की जानी पाई गई है तथा उक्त ठेकेदार अमित कुमार द्वारा जे0ई0 सतेन्द्र यादव से मिलीभगत करके कार्य के बिना किये एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके सरकार को 2,38,140/- रूपये का राजस्व नुकसान पहुचाया है ।

4. वाउचर न0 57 दिनांक 18.12.2018 में ओमप्रकाश ठेकेदार द्वारा गांव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में फिलटरों की टोप लेयर व सेकेन्ड लेयर की सफाई करने पर 49,300/- रू0 खर्च होने दिखाये गये है । इसी प्रकार वाउचर न0 58 दिनांक 18.12.2018 में उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त जल घर में थर्ड लेयर से बोटम लेयर तक फिल्टरों की सफाई, मैन ड्रेन के फिल्टर बैन्ड व दो ईन्च मोटी आर0सी0सी0 बेन्ड प्लेट आदि का काम किया गया । जिस पर 49,700/-रू खर्च होने बताये गये है । उक्त कार्य की कोटेशन उप मण्डल अभियन्ता द्वारा दिनांक 27.11.2018 को भेजी जानी पाई गई है तथा उसी दिन अधीक्षक अभियन्ता श्री फुल सिंह द्वारा मन्जुर की जानी पाई गई है । परन्तु मौके पर ऐसा कोई कार्य करना तसदीक नही हो पाया क्योकिं जिस एम0बी0 न0 536 में सतेन्द्र यादव जे0ई0 द्वारा यह कार्य इन्द्राज किया था वह गुम होनी पाई गई । जो कार्य वहां किया हुआ था उन कार्यो की अदायगी वाउचर न0 279 दिनांक 21.03.2016 व अन्य वाउचर न0 90, 99, 100 101, 102, 103, 105, 107, 120, 121, 122 दिनांक 17.11.2016 के तहत की जानी पाई गई है । ठेकेदार ओमप्रकाश द्वारा सतेन्द्र यादव जे0ई0 से मिलीभगत करके उपरोक्त कार्य के बिना किये एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके सरकार के 96524/- रूपये का राजस्व नुकसान पहुंचाया है ।

5. वाउचर न0 59 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार गांव सरूपगढ सातौर के जल घर में गावं की पानी की सप्लाई प्रयोग की जाने वाली 5 सैल्युस वाल्व बदले जाने बताये गये हैं जिस पर 45500/-रूपये खर्च होने दिखाये गये है । वाउचर न0 60 दिनांक 18 12-2018 के अनुसार गांव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में गांव की पानी की सप्लाई किये जाने वाले 150 एम0एम0 के 8 सैल्युस वाल्व बदले जाने दिखाये है जिस पर 45,600/- रू0 खर्च होने दिखाये गये है । वाउचर न0 61 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार गाव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में गांव की पानी की सप्लाई प्रयोग की जानी वाली 200 एम0एम0 व 100 एम0एम0 के 5 सैल्युस वाल्व बदले जाने बताये गये है जिसपर 45,500/-रू0 खर्च होने तथा वाउचर न0 62 दिनाक 18.12.2018 के अनुसार गांव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में डी0एफ0 पाईप का कार्य किया जाना दिखाया गया है जिस पर 49500 /-रू0 खर्च होने बाउचर न0 63 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार गाव सरूपगढ़ सातौर के जल घर मे डी0एफ0 पाईप का कार्य किया जाना दिखाया गया है जिस पर 49,500/- रू0 खर्च होने तथा वाउचर न0 64 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार गाव सरूपगढ़ सातौर के जल घर में गांव की पानी की सप्लाई किये जाने वाले 150 एम0एम0 के 8 सेल्युस वाल्व बदले जाने दिखाये है जिस पर 45,600/- रू0 खर्च होने दिखाये गये है । उपरोक्त सभी कार्यो की कुटेशन उपमण्डल अभियन्ता द्वारा 27.11.2018 को भेजी जानी दिखाई गई है तथा उसी दिन अधीक्षक अभियन्ता श्री फुल सिंह द्वारा ठेकेदार ओमप्रकाश के हक में मन्जुर की गई है तथा उपरोक्त सभी बिल दिनांक 05.12.2018 को पास होने पाये गये है । परन्तु मौका पर तस्दीक करने पर यह पाया गया कि दिनांक 27.11.2018 के बाद या उससे दो साल पहले तक ऐसा कोई कार्य वहां पर नही होना नहीं पाया गया । इससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार ओमप्रकाश द्वारा जे0ई0 सतेन्द्र यादव से मिलीभगत करके कार्य के बिना किये एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके सरकार के 2,75,576 /- रूपये का राजस्व नुकसान पहुचाया है ।

6. वाउचर न0 67 से 70 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार अमित कुमार ठेकेदार द्वारा शहर चरखी दादरी में भिन्न -2 गलियों में आर0सी0सी0 मैनहाल कवर आर0सी0सी0 स्लेब आदि का कार्य दिखाया गया था । जिसके कोटेशन उप मण्डल अभियन्ता द्वारा दिनांक 27.11.2018 को अधीक्षक अभियन्ता फुल सिंह के पास भेजे गये जो दिनांक 28.11.2018 को अपुर्वल कर दिये गये तथा इनके बिल दिनांक 18.12.2018 को पास कर दिये गये । परन्तु टैकनीकल प्वाईन्ट के अनुसार 8-10 दिन की अवधि में उपरोक्त स्लेब बनाकर लगाकर उनकी फिटिंग करना असंभव है, इतना ही नही बल्कि चरखी दादरी में सीवरेज स्कीम का चार्ज श्री सतेन्द्र यादव जे0ई0 के पास नहीं था । फिर भी इन कार्यो का ईन्द्राज उसके द्वारा एम0बी0 न0 536 में किया जाना पाया गया है । इस प्रकार उक्त अधीक्षक अभियन्ता ने जे0ई0 तथा उपरोक्त ठेकेदार के साथ मिलिभगत करके 1,92,000/- रू0 का फर्जी कार्य दिखाकर इसी राशी को 4 वाउचर 48,000/- रू0 के बनाकर गबन किया है । इस प्रकार 1,92,000/- रू0 सरकारी राजस्व का नुकसान करके गबन किया है तथा जो कार्य वाउचर न० 67 से 70 दिनांक 18.12.2018 में दिखाया गया है उसकी एम0 बी0 न0 536 श्री सतेन्द्र यादव जे0ई0 द्वारा तैयार की गई थी। वह कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह उक्त जे0ई0 द्वारा ठेकेदार अमित कुमार से मिलीभगत करके गबन को छुपाने के लिये खुर्द-बुर्द की जानी पाई गई है ।

7. वाउचर न0 71 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार ठेकेदार आनन्द कुमार के एग्रीमेन्ट न0 114/2017-18 को 82759/-

रू0 से 496425/- रू0 श्री फुल सिंह कार्यकारी अभियन्ता द्वारा दिनांक 28.11.2018 को बढ़ाया जाना पाया गया है । दिनांक 06.10.2017 को शुरू किया गया था तथा दिनांक 05.12.2017 को पूर्ण हुआ दिखाया गया है । जांच के दौरान पाया गया कि जिस साइट पर यह कार्य हुआ है वहां पर जे0ई0 श्री सतेन्द्र यादव कार्य शुरू होने की तिथि से कार्य खत्म होने की तिथि तक उस साईट का ईन्चार्ज नहीं था, बावजूद इसके यह कार्य उक्त जे0ई0 द्वारा एम0 बी0 536 पर ईन्द्राज करना दिखाया गया है । बढ़ाये गये कार्य के बिल 4,26,922/- रू0 की अदायगी का आदेश दिनांक 18.12.2018 को दिया जाना पाया गया है । जो आनन्द कुमार ठेकेदार को अदा किया गया। दिनाँक 26.11.2018 को प्राप्त की गई वाऊचर न. 71 में दर्शाये गये उपरोक्त एग्रिमेन्ट के सम्बन्ध में कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, चरखी दादरी के पत्र क्रमाँक 427 दिनाँक 11-01-2023 अनुसार उक्त एग्रीमेन्ट कार्यालय में उपलब्ध ना है ठेकेदार ओमप्रकाश द्वारा जे0ई0 सतेन्द्र यादव, फुल सिंह, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता से मिलीभगत करके कार्य के बिना किये एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके सरकार के 4,26,922/- रूपये का राजस्व नुकसान पहुचाया है ।

8. वाउचर न0 72 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार वार्ड न0 17 रामनारायण विहार, चरखी दादरी में जगत सिंह हुडडा ठेकेदार द्वारा सीवरेज पाईप लाईन बिछाने का कार्य मुकेश कुमार जे0ई0 की देख-रेख में दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 31.05.2018 तक किया गया था। जो एम0बी0 न0 1153 में ईन्द्राज किया गया था तथा अन्तिम बिल दिनांक 11.09.2018 को पास किया जाना पाया गया तथा 200 एम0एम0 आई/डी0एस0बी0 पाईप सीवर बिछाने के लिये ठेकेदार ओमप्रकाश के एग्रीमेन्ट न0 101/2017-18 को 84,064/ - रू0 से 4,97960/- रू0 श्री फुल सिंह अधिक्षक अभियन्ता द्वारा दिनांक 28.11.2018 को बढ़ाया जाना पाया गया है । जो दिनांक 06.10.2017 को शुरू को किया गया था तथा दिनांक 05.12.2017 को पूर्ण हुआ दिखाया गया है । जांच के दौरान पाया गया कि जिस साइट पर यह कार्य हुआ है वहां पर जे0ई0 श्री सतेन्द्र यादव कार्य शुरू होने की तिथि से कार्य खत्म होने की तिथि तक उस साईट का ईन्चार्ज नहीं था, बावजूद इसके यह कार्य उक्त जे0ई0 द्वारा एम0बी0 536 पर ईन्द्राज करना दिखाया गया है । बढ़ाये गये कार्य की बिल की अदायगी का आदेश दिनांक 18.12.2018 को दिया जाना पाया गया है । मौके पर तस्दीक के दौरान यह पाया गया कि उक्त सीवरेज सम्बन्धित कार्य केवल जगत सिंह हुडडा द्वारा किया गया था उसके बाद वहां पर कोई भी कार्य नही किया जाना पाया गया । इस तथ्य की पुष्टि श्रीमति सुमन, पार्षद वार्ड न. 17 के द्वारा की गई इस प्रकार ओमप्रकाश ठेकेदार द्वारा सतेन्द्र यादव जे0ई0 से मिलीभगत करके 4,97,960/- रू0 के कार्य के फर्जी दस्तावेज तैयार करके एम0बी0 न0 536 में इन्द्राज करके तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता फुल सिंह से फर्जी बिल पास करवाकर के 4,28,244/- रू0 सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जो कार्य जगत सिंह हुडडा द्वारा करवाया गया था वह मुकेश कुमार जे0ई0 द्वारा 1153 में दर्ज किया गया था । लेकिन यह एम0बी0 भी गुम होनी पाई गई है क्योकि मुकेश कुमार जे0ई0 द्वारा यह ब्यान दिया गया है कि उक्त एम0बी0 भी सतेन्द्र जे0ई0 द्वारा लेखा-शाखा, जनस्वास्थय विभाग अभियात्रिकी चरखी दादरी से प्राप्त की गई । इसके ईलावा वाऊचर न. 72 में दर्शाये गये एग्रिमेन्ट न. 101/2017-18 के सम्बन्ध में कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, चरखी दादरी के पत्र क्रमाँक 427 दिनाँक 11-01-2023 अनुसार उक्त एग्रीमेन्ट कार्यालय में उपलब्ध ना है ।

9. वाउचर न0 185 दिनांक 19.11.2018 में 44,394 रू0 की अदायगी सुनील कुमार ठेकेदार, वाउचर न0 186 दिनांक 19.11.2018, 47680 रू0, वाउचर न0 187 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 48598 रू0, वाउचर न0 188 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 47628 रू0, वाउचर न0 189 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 43120 रू0, वाउचर न0 190 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 48216 रू0, वाउचर न0 191 दिनांक 19.11 2018 के अनुसार 47628 रू0, वाउचर न0 192 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 47628/-रू0, वाउचर न0 193 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 47628 रू0, वाउचर न0 194 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 48804/- रू0, वाउचर न0 195 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार 48804/- रू0 के कार्य अमित कुमार ठेकेदार द्वारा रूदडोल जलघर में बोर करके ट्युववेल लगाया पाया गया है । इस कार्य का ईन्द्राज श्री अरविन्द कुमार जे0ई0 द्वारा एम0बी0 न0 1165 में किया जाना पाया गया है । इस कार्य मे कुल 5,20,076/- रू0 की अदायगी अमित कुमार ठेकेदार के हक में की जानी पाई गई है तथा यह कार्य दिनांक 30.10.2018/31.10.2018 को मन्जूर करके जिसकी अदायगी 10-15 दिन में कर दी गई थी ।

10. वाउचर न0 197 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार ठेकेदार रामफल द्वारा एग्रीमेन्ट न0 पी0एच0डी0डी0/21/2009-10, के सम्बन्ध में 2,47,400/- रूपये बिल पास किया गया था । जिसमें से 2,07,258/-रूपये अदायगी की जानी थी ।

जिसमें से 50 हजार रूपये इस कार्यालय के हैड ऑफिस द्वारा बन्द किया गया था क्योकिं यह काम पैन्डिग था । जो हैड ऑफिस द्वारा बन्द किया गया था उसकी अदायगी डिवीजन से नही हो सकती । बाद में मैन्टेन्नस में दिखाकर इसकी पैमेन्ट की गई है । जो फुल सिंह, कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थय विभाग, चरखी दादरी ने हैड ऑफिस की अवहेलना करते हुये उक्त बिल का भुगतान किया गया जो कि गलत है । अतः ठेकेदार रामफल ने सरकार को 50 हजार रूपये की वित्तीय हानि पहुचाई है ।

11. सतेन्द्र यादव, तत्कालीन, जे0ई0, जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी ने अमित कुमार ठेकेदार के साथ मिलीभगत व जालसाझी करके जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी में वाउचर न0 48 से 56, 67 से 70 कुल 13 कार्यो के बिना कार्य किये बिना एर्गीमेन्ट व फर्जी वाउचर तैयार करके एम0बी0नम्बर 536 में दर्ज करवाकर व उक्त एम0बी0 गुम करके व श्री फुल सिंह, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी से मिलीभगत करके बिल पास करवाकर अपने खाते में डलवाकर सरकार के कुल 6,14,950/- रू0 तथा औमप्रकाश ठेकेदार के साथ मिलीभगत व जालसाझी करके जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी में फर्जी वाउचर न0 6, 57 से 64, 72 कुल 10 कार्यो को बिना कार्य किये बिना एग्रीमेन्ट व फर्जी वाउचर तैयार करके एम0बी0 नम्बर 536 में दर्ज करवाकर व उक्त एम0बी0 गुम करके व श्री फुल सिंह, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी से मिलीभगत करके बिल पास करवाकर अपने खाते में डलवाकर सरकार के कुल 16,38,896/- रू0 तथा आनन्द कुमार ठेकेदार के साथ मिलीभगत व जालसाझी करके जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी में वाउचर न0 71 का बिना कार्य किये बिना एर्गीमेन्ट व फर्जी वाउचर तैयार करके एम0बी0 नम्बर 536 में दर्ज करवाकर व उक्त एम0बी0 गुम करके व श्री फुल सिंह, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी की मिली भगत से अपने खाते में डलवाकर सरकार के कुल 4,76,565/- रू0 का सरकारी राजस्व का नुकसान करके गबन किया है । दिनाँक 07.12.2019 को सतेन्द्र यादव, तत्कालीन जे0ई0, जनस्वास्थय विभाग, चरखी दादरी की मृत्यु हो चुकी है ।

आरोप सिद्ध होने पर फूल सिह तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग डिविजन-II चरखी दादरी, अमित कुमार ठेकेदार, जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी, आनन्द कुमार ठेकेदार, जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी, औमप्रकाश ठेकेदार जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी के विरुद्ध 409,420,467,468,471,120 बी0 भा0द0स0 एवं 7,13(1)(ए) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित करने तथा अभियोग के अनुसंधान के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्ता पाई जाये तो उसको अभियोग में शामिल करने का सुझाव देकर अंतिम रिपोर्ट कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला भेजी गई थी । परिक्षणौपरान्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला द्वारा जॉच रिपोर्ट अपनी टिप्पणी के सहित मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी ।

अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग के पृष्ठांकन 25/25/2019-V (I) दिनांक 04.06.2025 की अनुपालना में महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 10558/1-3/ACB (H) दिनांक 06.06.2025 के अनुसार (1) फूल सिह तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग डिविजन-II चरखी दादरी (2) अमित कुमार ठेकेदार, जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी (3) आनन्द कुमार ठेकेदार, जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी (4) औमप्रकाश ठेकेदार जनस्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी के विरुद्ध 409,420,467,468,471,120 बी0 भा0द0स0 एवं 7,13(1)(ए) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए असल तहरीर मय रिकार्ड फाईल कुल-9 बदस्त EHC विकास 544/हांसी के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार भेजी जा रही है ।

अजः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र चरखी दादरी ।
SD Mahesh Kumar
(महेश कुमार), ह0पु0से0
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र चरखी दादरी ।
दिनांक 08.07.2025

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नं. 24 दिनांक 08.07.2025 जेर धारा 409,420,467,468,471,120 बी0 भा0द0स0 एवं 7,13(1)(ए) r/w 13(2) PC Act थाना भ्र.नि.ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर प्र.सु.रि. मय असल तहरीर मय रिकार्ड कुल 9 फाईले आगामी तफ्तीश हेतू EHC विकास 544/हांसी के हाथ उप पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार भ्र.नि.ब्यूरो युनिट भिवानी के पास भेजी जा रही है । प्र.सु.रि. की स्पैशल प्रतियां तैयार करके EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब चरखी दादरी व पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी की सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SANDEEP **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): H170 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.